कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 गि 0291.261537

क्रमांकः– 1250   दिनांकः 23/10/2020

:: ई–निविदा सूचना संख्याः मुख्यालय / 20 / 2020–21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से मास्क तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एंव अन्य विभाग में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1 प्रतिशत राशि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban service में ऑन लाईन निम्न निर्देशानुसार जमा करनी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 26.10.2020 व समय 12.15 P.M.
2.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 03.11.2020 व समय 6.00 P.M.
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 26.10.2020 व समय 12.15 P.M.
4.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 03.11.2020 व समय 6.00 P.M.
5.	ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban service में Payment getway for E-Tendering से निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई–टेन्डररिंग प्रक्रिया शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय	01	दिनांक 03.11.2020 व समय 6.00 P.M.
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	01	दिनांक 04.11.2020 व समय 2.00 P.M.

निविदा का विवरणः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
01.	कोविड–19 की रोकथाम अभियान हेतु मास्क क्रय करने का कार्य	2.25	2250/-	500/-	500/-	15 दिन	स्टोर

प्राधिकरण मे मास्क की आपूर्ति हेतु बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते :–

A तकनीकी योग्यतायें :–

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में किसी विभाग बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण निगम द्वारा अयोग्य घोषित नही होना चाहिए।	राशि रूपयें 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस बाबत् स्वंय प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
2.	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।
3.	बोलीदाता फर्म के विरूद्व वर्ष दिसम्बर, 2019 का GST बकाया नही होना चाहिए।	दिसम्बर, 2019 की जीएसटी रिटर्न की प्रति अपलोड करें।
4.	फर्म/स्वामी/साझेदार का GST No. नम्बर प्राप्त किया गया हो	GST No.की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।
5.	नमूना	प्रत्येक बिडर द्वारा 5 नग एक बन्द लिफाफे में बतौर नमूना निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक जेडीए कार्यालय की स्टोर शाखा में अनिवार्यतः उपलब्ध करवाना होगा। प्रत्येक नग पर अमिट स्याही से मोहर एवं हस्ताक्षर होने चाहिए इसके अभाव में बिडर की वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी भारत/राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त लेब में टेस्ट करवाकर टेस्ट रिजल्ट उपलब्ध कराना होगा।

6.	संलग्न प्रारूप	उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने एव हस्ताक्षरित सलंग्नक ए,बी,सी एवं डी अपलोड करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियॉ खोली जावेगी।

B बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियॉ ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से एकल पद्वति (द्वि–भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को ऑनलाईन बैंकिग के माध्यम से निर्धारित खातो मे जमा करना होगा। समय पर शुल्क जमा नही होने की स्थिति में बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियॉ अस्वीकार्य होगी।
5. सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार पत्र जारी होने सात दिवस के भीतर नियमानुसार राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
6. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ RTPP नियमों में वर्णित संलग्नक A, B, C एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर अपलोड करने होगें।
7. दर संविदा की अवधि 1 माह होगी, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं जोविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जोविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जोधपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
10. अनुबन्ध अवधि के दौरान मास्क की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

C कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :–

1. वित्तीय प्रस्ताव में अंकित मास्क हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रतिनग/इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीटी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
2. बोली के साथ **"वित्तीय प्रस्ताव"** मे वर्णित मद के मानक अनुसार 05 मास्क एक बन्द लिफाफे में नमूने के तौर पर निविदा प्रस्तुत की जाने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व जोविप्रा की स्टोर शाखा मे जमा कराना होगा। नमूने के प्रत्येक नग पर बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर अमिट स्याही से अंकित करनी होगी। नमूना प्रस्तुत नही करने पर बिडर की वित्तीय बिड नहीं खोली जायेंगी।
3. **प्राधिकरण मे उत्तम गुणवता की मास्क को ही क्रय किया जाना है जिसका निर्धारण सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।**
4. मास्क की प्राधिकरण कार्यालय मे सप्लाई से पूर्व यह जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी, कि वह समस्त आपूर्ति की गयी मास्क को प्राधिकरण द्वारा अधिकृत समिति/अधिकारी से स्वीकृत करावें।

5. आपूर्ति हेतु प्रस्तुत मास्क की गुणवता को रदद किये जाने की स्थिति मे ऐसी सूचना प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर मास्क वापस ले जानी होगी। ऐसी मास्क को लाने एवं ले जाने या अन्य कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा देय नही होगा।

6. आदेशित माल की 05 दिवस मे आपूर्ति नही करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित कर नुकसानी अनुबंधित बोलीदाता से वसूलीय होगा।

7. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि मास्क आपूर्ति नही की जाती है तो अनुमोदित फर्म की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से क्रय कर लिया जावेगा, तथा अन्तर राशि की वसूली फर्म को देय राशि अथवा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी।

8. अपूर्ण एवं असंतोषजनक सप्लाई अथवा कम गुणवत्ता की सप्लाई किये जाने पर बोलीदाता से किये गये अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है तथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर फर्म को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. बोली खुलने के पश्चात् बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरो को वापस लेता, निर्धारित अवधि में अनुबन्ध का निस्पादन नही करने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नही करवाने या अनुबन्ध पश्चात् आपूर्ति प्रारम्भ नही करता तो बोली प्रतिभूति/कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा, तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

10. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामान को सही स्थिति मे प्राधिकरण तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन मे हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

D मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम बोलीदाताओ की तकनीकी बिड समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी बिड मे सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोलीदाताओ द्वारा **"वित्तीय प्रस्ताव"** में प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेगा।
2. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत नमूनो के आधार पर सक्षम समिति क्रय की जाने वाली मास्क एवं बोलीदाता का निर्धारण कर सकेगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रकिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
4. **"वित्तीय प्रस्ताव" मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है प्राधिकरण मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्वि की जा सकती है, जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के क्रय की कोई गारन्टी नही होगी।**
5. **स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक संभावित करवाये जाने वाले कार्य की दरें प्रस्तुत की जायें, समय–समय पर मांग अनुसार अनुमोदित दरों पर कार्य करवाया जाना है।**

6. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, सक्षम समिति स्वविवेक एवं प्रस्तावित नमूनो की गुणवत्ता के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से अनुबन्ध कर सकती है समान मास्क के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी अनुबन्ध किया जा सकता है।
7. बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का कर या प्रभार यदि देय हो तो कर एवं प्रभार पृथक–पृथक से दर्शाया जावें। कर एवं प्रभार पृथक से नही दर्शाये जाने पर दर समस्त कर/प्रभारों सहित मानी जाऐगी।
8. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूनों की गुणवत्ता एवं दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

E <u>अन्य शर्ते/अनुदेश :–</u>

1. सचिव जोविप्रा द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 5 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
3. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी निविदादाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **आयुक्त, जोविप्रा** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी कार्यकारी समिति जोविप्रा होंगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
5. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
6. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम मे वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

अधिशाषी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

<u>बोलीदाता के हस्ताक्षर</u>
<u>बोलीदाता का विवरण</u>

फर्म का नाम व पताः–...

....

गोदाम का पताः–...

....

मोबाइल/दूरभाषः–..

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

jdajodhpur.rajasthan.gov.in वेब साईट http://email:-jdajodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612086,0291.2656355 फै 0291.261537

क्रमांकः–

दिनांकः

"वित्तीय प्रस्ताव"

कार्य का नाम :– कोविड–19 की रोकथाम अभियान हेतु मास्क कय करने का कार्य

क्रं.सं.	सामग्री विवरण	इकाई	अनुमानित मात्रा	दर प्रति इकाई	जी.एस.टी.	कुल योग जीएसटी सहित
1	Supply of 3 layer mask made up of melt-blown polymer placed between non woven fabric/non Synthetic fabric	प्रति नग	115000.00			

अधिशाषी अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का विवरण

फर्म का नाम व पताः–..

....

गोदाम का पताः–...

....

मोबाइल / दूरभाषः–..